डीजी परिपत्र संख्या - 10 /2016

जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः फरवरी 22 ,2016

विषय : महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की प्रभावी रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय,

कृपया आप सभी अवगत हैं कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। आप सभी को महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम और इनकी विवेचना में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश इस मुख्यालय के पार्श्वांकित परिपत्रों के माध्यम से दिये गये हैं। आप सभी सहमत होंगे कि महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियो के साथ घटित होने वाले अपराध जैसे-बलात्कार, अपहरण, छेड़खानी, चैन स्नैचिंग इत्यादि की घटनायें अत्यन्त निन्दनीय है। इन घटनाओं से पुलिस को न्यायपालिका, मीडिया एवं जनसामान्य की आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है और इससे पुलिस की गरिमा एवं छबि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों एवं उनके उत्पीड़न की रोकथाम के लिए अपने-अपने जनपद की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी कार्ययोजना विकसित कर कार्यवाही करें। अपनी कार्ययोजना में आप निम्न बिन्दुओं का समावेश करें :-

परिपत्र संख्या : 29/07 दिनांक : 30.06.07
परिपत्र संख्या : 48/07 दिनांक : 12.07.07
परिपत्र संख्या : 45/08 दिनांक : 15.04.08
परिपत्र संख्या : 04/10 दिनांक : 22.01.10
परिपत्र संख्या : 16/13 दिनांक : 29.04.13
परिपत्र संख्या : 38/14 दिनांक : 07.06.14
परिपत्र संख्या : 04/15 दिनांक : 14.01.15

- जनपद के भीड़ वाले स्थान, जहॉ महिलाओं का काफी आना-जाना हो, जैसे-शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, धार्मिक स्थलों, अस्पतालों, बस अड्डे/रेलवे स्टेशनों इत्यादि स्थानों पर पुलिस की पिकेट डियूटी अवश्य लगायी जाये। इन स्थानों पर यथासम्भव महिला पुलिस कर्मियों को भी नियुक्त किया जाये। कुछ पुलिस कर्मियों एवं महिला पुलिस कर्मियों की डियूटी सादे कपड़ों में भी लगायी जाये एवं छेड़-छाड़ करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये। इन स्थानों पर संस्थान के प्रबन्धकों से वार्ता कर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने की भी कार्यवाही की जाये।

- प्रायः प्रत्येक जनपद में विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थान निरन्तर खुल रहे हैं। इन कोचिंग संस्थानों एवं जनपद के अन्य कालेजों, विद्यालयों में काफी संख्या में लड़कियों का आना-जाना होता है। ऐसे स्थानों पर कक्षा प्रारम्भ होने/छूटने के समय पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय। इन स्थानों के आस-पास अनावश्यक रूप से खड़े लड़कों/शोहदों से पूछतांछ की जाय एवं उन्हें रोका-टोका जाय। कोचिंग संस्थानों के प्रबन्धकों से वार्ता कर संस्थानों के अन्दर और बाहर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने की कार्यवाही करायी जाये।

- उपरोक्त चिन्हित स्थानों पर स्थायी पुलिस व्यवस्था के अतिरिक्त थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ समय/स्थान बदल-बदल कर पैदल गश्त करना भी सुनिश्चित करें।

- आप अपने जनपदों की भौगोलिक परिस्थितियों का आंकलन कर लें तथा महिलाओं के विद्यालय/हॉस्टल, कोचिंग संस्थानों, धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाले ऐसे मार्गो को चिन्हित करें, जो या तो कम भीड़ वाले हैं अथवा निर्जन स्थान हैं। इन स्थानों पर आवश्यकतानुसार गश्त की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

- महिला विद्यालयों के प्रबन्धकों एवं शिक्षकों से वार्ता कर छात्राओं से सम्वाद स्थापित किया जाये। महिला पुलिस कर्मी/महिला पुलिस अधिकारी इन छात्राओं को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग करें तथा उन्हें आवश्यकता पड़ने पर 1090 एवं 100 नम्बर डॉयल कर पुलिस की सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में

जागरूक करें। कालेज/विद्यालयों/विश्वविद्यालयों की छात्राओं को अपने विरूद्ध हो रहे अपराधों एवं उत्पीड़न की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए भी प्रेरित किया जाये और उन्हें यह आश्वासन दिया जाय कि उनकी पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा ओर उनके द्वारा दी गयी सूचना पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

- समस्त क्षेत्राधिकारी भी जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थानों का भ्रमण अवश्य करें एवं यथा सम्भव कालेजों/कोचिंग संस्थानों इत्यादि के प्रबन्धकों से सतत् रूप से सम्पर्क में रहें और उनके द्वारा दी जाने वाली सूचना को गम्भीरता से लें।

- अपने-अपने जनपदों के उन पार्को एवं वहॉ आवागमन के रास्तों इत्यादि को चिन्हित कर लें, जहॉ प्रातः काल में अधिक संख्या में महिलायें प्रातः भ्रमण करती हों। चैन स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रातः काल इन स्थानों पर मोटर साइकिल से मोबाइल पुलिस टीम द्वारा गस्त करायी जाये। मन्दिरों एवं धार्मिक स्थानों पर भी मोटर साइकिल से मोबाइल पुलिस टीम से गस्त करायी जाये। ज्यादातर चैन स्नैचिंग की घटनायें मोटर साइकिल सवार युवा लड़के करते हैं। अतः इन घटनाओं को रोकने के लिए मोटर साइकिल से मोबाइल पुलिस टीम लगाया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, ताकि घटना होने पर तत्काल अपराधियों का पीछा किया जा सके। घटना होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने में टालमटोल न की जाये। चैन स्नैचरों का पता लगाकर उनकी नियमानुसार गिरफ्तारी की जाये एवं हिस्ट्रीशीट खोलने पर विचार/परीक्षण किया जाये।

- महिलाओं के उत्पीड़न की सूचनाओं को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। इस प्रकार की सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा सक्रिय होकर वैधानिक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाये, ताकि सामान्य घटना महिलाओं के विरूद्ध गम्भीर अपराध में परिवर्तित न हो सके।

- महिलाओं और बच्चियों की गुमशुदगी एवं अपहरण की घटनाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल पंजीकृत की जाये, इनकी विवेचनाओं को गम्भीरता से लिया जाये। प्रायः पुलिस इन घटनाओं को प्रेम प्रसंग होने की संज्ञा देकर गम्भीरता से नहीं लेती है, जिसके कारण कई बार इसकी परिणति महिलाओं के विरूद्ध गम्भीर अपराध के रूप में होती हैं। इस प्रवृत्ति पर तत्काल अंकुश लगना चाहिए। अपहरण एवं गुमशुदगी की सूचना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- गुमशुदा बच्चों एवं लड़कियों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाओं को तत्काल **http://trackthemissingchild.gov.in** वेवसाइट पर अपलोड किया जाय तथा इस वेवसाइट के माध्यम से इन्हें खोजने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों को रोकने के लिए उपरोक्त दिशा-निर्देशों का संवेदनशील होकर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

(जावीद अहमद)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 पुलिस महानिदेशक, सी0बी0-सी0आई0डी0, उ0प्र0, लखनऊ।
2 पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3 पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
4 पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उ0प्र0, लखनऊ।

5 अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
6 अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ।
7 समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
8 समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।